




कार्यालय नगर पालिका परिषद हरदा जिला हरदा (म.प्र.)

Email-cmoharda@mpurban.gov.in

https://nagarpalikaharda.org

क्रमांक 2479 लोकनिर्माण / 2026




conn. 07577222238

Toll free No 18002331353

हरदा दिनांक 4/5/26

// आनलाईन निविदा //



कार्यो हेतु निविदा वेबसाईड www.mptender.gov.in निम्नानुसार निर्माण कार्य हेतु दरें आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेबसाईड पर दिनांक 2/5/26 से 22/5/26 तक कय की जा सकती है। बीड सबमीट 22/5/26 समय 5:30 तक निविदा संशोधित होने की स्थिति में वेबसाईड पर ही देखा जा सकता है। विस्तृत निविदा सूचना आमंत्रण एवं अन्य जानकारी उक्त वेबसाईड पर देखी जा सकती है। निविदाओं में वित्तीय प्रस्ताव कार्य अनुबंध सेवा पर लागू जी.एस.टी. को छोड़कर बुलाए जा रहे हैं। देयक प्रस्तुती के समय कार्य अनुबंध सेवा पर लागू जी.एस.टी.का भुगतान पृथक से अनुबंधकर्ता को किया जावेगा।

1	2	3	4	5	6	अनुमानित राशि रूपये		अमानत राशि रूपये	निविदा फार्म मूल्य रूपये	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6	PAC-7	GST-8	8	9	10
1	4949	4/5/26	वार्ड क्र. 32 सुदामा नगर कॉलोनी में लीला बाई साहू के मकान से सुनीता माणिक के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।	न.पा. निधि	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग आई.एस.एस. आर. दि.08. 11.2025 से प्रभावशील	576990	103858	5770	2000	2 माह
2	4950	4/5/26	वार्ड क्र. 32 कुंजबिहार कॉलोनी में मुख्य मार्ग से बरजोर सिंह के मकान तक सी. सी.रोड़ निर्माण कार्य।			574578	103424	5746	2000	2 माह
3	4951	4/5/26	वार्ड क्र. 26 नेहरू स्टेडियम के सामने गली नंबर 05 में सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			941094	169397	9411	2000	2 माह
4	4952	4/5/26	वार्ड क्र. 17 श्यामा नगर कॉलोनी के ब्राह्मण समाज कॉलोनी में केशव उपाध्याय जी के मकान से पुरोहित के मकान तक सी.सी.रोड़ कार्य।			900384	162069	9004	2000	2 माह
5	4953	4/5/26	वार्ड क्र. 16 रामनाथ सिरिया के मकान से मधुसुदन दुबे के मकान तक सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य।			911935	164148	9119	2000	2 माह
6	4954	04/05/26	वार्ड क्र. 18 नेहरू स्टेडियम गेट क्रमांक 02 के पास सार्वजनिक मूत्रालय निर्माण कार्य।			99093	17836	991	2000	2 माह

शर्त :-

- निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक 120 दिन तक की होगी।
- निविदा प्रपत्र कय करने से पूर्व ठेकेदार को उचित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति फर्म की होने की दशा में साझेदारी की डीड एवं पावर आफ एटार्नी की प्रति प्रस्तुत करना होगी।
- अमानत राशि आनलाईन भुगतान द्वारा / डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या सिस्टम जनरेटेड चालान के माध्यम से जमा करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रॉक्लन ड्राईंग-डिजाईन एवं संबंधित अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिका लोक निर्माण शाखा से ली जा सकती है।
- म.प्र. नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018 का नियम 217 (ख) अनुसार निविदाकारों से अनुबंध संपादन के समय 3 प्रतिशत निष्पादन राशि कार्य की अनुमानित लागत मूल्य की जमा कराई जाना होगी।
- ठेकेदार का ई.पी.एफ.पंजीयन होना अनिवार्य है।
- कार्य में जी.एस.टी. नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
- अन्य शर्तें न.पा.के लोक निर्माण शाखा में कार्यालयीन समय पर देखी जा सकती है।
- दरें 10 प्रतिशत आई.एस.एस.आर.से कम प्राप्त होने पर अतिरिक्त परफॉरमेंस गारन्टी जमा करवानी होगी।
- 7 प्रतिशत सुरक्षा निधि प्रत्येक रनिंग देयक में से काटी जावेगी।
- पृथक-पृथक देयको के पूर्व रॉयल्टी प्रस्तुत करना होगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद हरदा

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./रोड निर्माण/2026/ 2

नर्मदापुरम्, दिनांक - 9/4/26

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद् हरदा,
जिला - हरदा।

विषय:- वार्ड क्र. 17 श्यामा नगर कालोनी के ब्राह्मण समाज कालोनी में केशव उपाध्याय जी के मकान से पुरोहित के मकान तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति।

संदर्भ:- Project Approval. PA-0318-26-000000004 Project No. PW1-EN2-0318-25-1139.

---//---

विषयान्तर्गत, प्रोजेक्ट अप्रूवल के द्वारा वार्ड क्र. 17 श्यामा नगर कालोनी के ब्राह्मण समाज कालोनी में केशव उपाध्याय जी के मकान से पुरोहित के मकान तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य प्राक्कलन का परीक्षण किया गया। निविदा लागत की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत निर्माण कार्य किया जावे। निर्माण कार्य की क्रस्ट व पेवमेन्ट डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलीटेक्निक कॉलेज से कराकर तदनुसार कार्य कराया जावे। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। परीक्षण उपरान्त MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्र	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील SOR का विवरण	राशि (लाख में)
1	वार्ड क्र. 17 श्यामा नगर कालोनी के ब्राह्मण समाज कालोनी में केशव उपाध्याय जी के मकान से पुरोहित के मकान तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	न.पा. निधि/ अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस.एस.आर. दिनांक 08.11.2025 से प्रभावशील	9,00,384.00
			जी.एस.टी. 18%	1,62,069.00
			योग	10,62,454.00

शर्तें

1. मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. डामरीकरण के कार्य में लगने वाली सामग्री (मिक्स मटेरियल) की टेस्टिंग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कराने के साथ मिक्स मटेरियल के वजन की धर्मकांठि की रमीद ली जावे अथवा मडक के लेवल लिये जावे। प्रत्येक रनिंग देयक के साथ अधिकृत रिफायनरी के डामर के मूल विल, रमीद अनिवार्य रूप से लिये जावे।
3. सी.सी.रोड निर्माण कार्य करने के पूर्व आई.आर.सी. कोड अनुसार क्रस्ट/पेवमेंट डिजाईन तथा मिक्स डिजाईन का परीक्षण शासकीय/मान्यता प्राप्त पालिटेक्निक/इंजीनियरिंग कालेज में कराया जाकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करें। अनुमोदित डिजाईन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत में परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त की जावे। उक्त कार्य करवाने का दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा।
4. डब्ल्यू.वी.एम. (मेटल रोड) निर्माण के पूर्व मटेरियल का कलेक्शन इंद्राज माप पुस्तिका में कराना सुनिश्चित करें एवं मटेरियल की टेस्टिंग शासकीय इंजीनियरिंग/पालिटेक्निक कालेज या अन्य शासकीय संस्था में कराना सुनिश्चित करें।
5. तथ्यों को छुपाने/निजी/अवैध कार्यों में निर्माण करने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
6. मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुरूप सक्षम स्वीकृती प्राप्त करना, बयाना जमा, निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
7. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे, अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उमकी अनापत्ती अथवा हस्तारण की कार्यवाही की जावे। निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
8. भूमि विवाद की स्थिति में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ती ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
9. बड़ी परिचयोजना, एकमुश्त प्रोजेक्ट, समान स्वरूप के कार्य को विभाजित कर, पृथक-पृथक ली गई तकनीकी स्वीकृती स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा इस तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
10. निर्माण कार्य के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे।
11. समस्त प्रकार के रोड निर्माण में कॉमन यूटीलिटी डकट का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जावे।
12. उक्त तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है, रिवाईस्ट/मप्लीमेंट्री कार्यों के लिए नहीं। तथ्यों को छुपाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
13. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रु. 1.00 लाख अथवा उममें अधिक के कराये जाने वाले कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम में आहूत की जाना सुनिश्चित करे।
14. कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किये जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना MOPRO/नOपाOलेOनिO 1961 नियम के प्रावधानिक प्रारूप में इस कार्यालय को देना होगा। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नहीं होगा।
15. निःशक्त जनों के लिए बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हेतु रोड सेफ्टी फीचर्स जैसे रोड साइनेज, टर्निंग प्वाइन्ट आदि लगाये जावे।
16. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नजूल एवं अन्य विभागों से आवश्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे।

17. निर्माण कार्य की लागत राशि रु. 25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल पर प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी के करार्ड जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।
18. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।
19. उपरोक्त धारों की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।
20. निर्माण के दौरान सी पी इन्क्यू डी स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जाये निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री/कांक्रीट आदि का शासकीय प्रयोगशाला परीक्षण निर्धारित आवृत्ति अनुसार कराया जाये। साथ-साथ उक्त सम्बंध में समय-समय पर वरिष्ठ कार्यालय से दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे एवं परीक्षण रिपोर्ट के संतुष्टीपूर्ण परिणाम प्राप्त होने पर ही चल देयकों का भुगतान किया जावे। कार्य के चल देयक, भुगतान के पूर्व उपयोग की गई समस्त सामग्रियों एवं कांक्रीट की टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।
21. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाये।
22. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जावे।
23. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जायेगी।
24. कांक्रीट एम-20/30/40 कांक्रीट कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कांक्रीट हाई होने के पहले रोड की सेन्टरलाईन के परपेन्डिकुलर दोनों तरफ ड्रैमिंग की जावे।
25. तापमान 38 डिग्री सेन्टिग्रेड से अधिक होने की स्थिति में सीमेन्ट कांक्रीट का कार्य नहीं कराया जावे।
26. मौके की स्थिति अनुसार यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है तो निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
27. निर्माण कार्य की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।
28. निर्माण कार्य निजी/अवैध कॉलोनी में नहीं किया जावेगा, यदि कार्य सम्पादित किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं दी गयी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
29. कार्य टुकड़ों में/विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
30. सी.सी. रोड की मिक्स एव कांक्रीट डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से कराई जाकर तदनुसार निर्माण कार्य स्थल पर कराया जावे एवं यदि क्रस्ट डिजाईन एवं मिक्स डिजाईन से कार्य की लागत में बढोत्तरी होती है, तो बड़ी हुई लागत की पुनरीक्षा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
31. निर्माण कार्य स्वयं के स्वामित्व/अधिपत्य की भूमि में किया जावे, निजी भूमि एवं अवैध कालोनी में निर्माण कार्य किये जाने अथवा तथ्यों को छुपाये जाने की दशा में जारी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. अथवा भूमि स्थानान्तरण करवाये जाने के पश्चात प्रस्तापित कार्य काराया जावे। शर्तों का पालन नहीं करने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
32. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का यदि अंतिम मूल्यांकन किये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
33. सी.सी. रोड निर्माण के दौरान Expansion, Contraction एवं Longitudinal Joints का प्रावधान अनिवार्य रूप से स्पेसिफिकेशन अनुसार किया जाकर Dowel एवं Tie Bar Reinforcement दिया जावे।
34. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का अंतिम मूल्यांकन करवाये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में अथवा निर्धारित डिजाईन औसत अवधि पूर्ण हुए बिना यदि पुनः नवीन/रिन्यूवल कार्य के रूप में कार्य लिए जाने पर किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
35. निविदा आमंत्रण के पूर्व सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।
36. निविदा आमंत्रण पूर्व NON SOR ITEM का अनुमोदन विस्तृत Rate Analysis प्रस्तुत कर संभागीय कार्यालय से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करे।
37. If paver with electronic sensor, vibratory roller are not used at site and laying, compaction is done by any other method (The acceptance criteria regarding level, thickness, surface regularity, texture, strength of concrete and all other quality control measure shall be same as in case of machine laid work.) deductions in rates for the above is as per UADD ISSR 08 11 2025.

संलग्न- प्रायश्चलन।

कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्

Project Estimate

Project Details

Estimation Number: ES-0318-26-0000000002

Work: W-17 Shyama Nagar Me Bramhan Samaj Keshav Upadhyay Ji Ke Makan Se Rajesh Purohit Ke Makan Tak CC Road

ULB: 0318 (Harda Nagar Palika)

Demand ID: DM-0318-26-0000000002

Department: Public Works

PAC: 900384.8

Project No.: PW1-EN2-0318-25-1139

Gross: 1062454.06

Activity / SOR / NON SOR and WBS Details

WBS NO	SOR ITEM	Description	Coures	Nos	Length	Breadth	Depth	Volume	Area	Weight	Quantity	Unit	Price/Unit	Amount Before GST	GST %	Total Amount	Remarks
1	NI-3.3	3.3 Excavation for roadwork in soil with hydraulic excavator including cutting and loading in tippers, trimming bot		1.0	100.0	5.0	0.4	200.0			200.0	M3	122.0	24,400.00	18.0	28,792.00	
1	NVI-4.1.1.1	Grading I		1.0	100.0	5.0	0.1	50.0			50.0	M3	1059.0	52,950.00	18.0	62,481.00	
1	NVI-6.3	Providing and Laying Cement Concrete Grade M-10 with 40 mm graded crushed stone aggregate,		1.0	100.0	5.0	0.1	50.0			50.0	M3	4598.0	229,900.00	18.0	271,282.00	
1	NVI-6.2.1	Dowel jointed, Plain Cement Concrete Pavement		1.0	100.0	5.0	0.2	100.0			100.0	M3	5916.0	591,600.00	18.0	698,088.00	
1	NVI-6.2.3	Dowel jointed, Plain Cement Concrete Pavement		1.0	100.0	5.0	0.2	100.0			100.0	M3	-301.0	-30,100.00	18.0	-35,518.00	
1	NVI-6.2.4.1	Mild Steel dowel bars confirming to IS 432, grade I		0.077							0.077	MT	57200.0	4,404.40	18.0	5,197.19	
1	NVI-6.2.4.2	HYSD tie bars of Fe 500 grade confirming to IS 1786		0.063							0.063	MT	63800.0	4,019.40	18.0	4,742.89	
1	NVI-8.6.1.4	60 cm equilateral triangle	2.0								2.0	EA	3393.0	6,786.00	18.0	8,007.48	
1	NVI-8.18	Road Marking with Hot Applied Thermoplastic Compound with Retro-Reflectoring Glass Beads		2.5	100.0	0.15			15.0		37.5	M2	438.0	16,425.00	18.0	19,381.50	

WBS Summary

WBS NO	WBS Text	Amount
1	W-17 Shyama Nagar Me Bramhan Samaj Keshav Upadhyay Ji Ke Makan Se Rajesh Purohit Ke Makan Tak CC Road	900,384.80
Total PAC		900384.8

GST: 162069.26
Gross: 1062454.06